FORM NO III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

आशिष स्वीकार किया 28/6/19

APP-A
Crim-1

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

~~गोविन्द डाबरी जांवरी मीणा~~ बनाम ~~श्रीमती कमलादेवी पत्नी डाबरी गोविन्द मीणा~~
~~नि. ग्राम गोली तह. मांडे~~ ~~नि. ग्राम गोली तह. मांडे जिला अजमेर, वर्त~~
किस्म मुकदमा ~~जिला अजमेर।~~ नम्बर 213/Kol/2 सन् 20 (किशनगढ़)
223 राज. काश्तकारी अधि.

2019/00213

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री आशीष जैन, एड० अपी० श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
28.6.19	यह अपील श्री आशीष जैन एड़वोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.01.2019, वाद संख्या 29/2018 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 223 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील मियाद बाहर पेश की गई, जिसके समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पेश किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट के एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए तथा बहस के कथनों पर प्रथमदृष्टया विश्वास करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है। तत्पश्चात अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 5 जा. दी. एवं अपील पर अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य पूर्व में ही आपसी बंटवारा होकर अपीलांट के हिस्से में आराजी खसरा नम्बर 56, 84, 296/1, 297/2 कुल रकबा 44 बीघा 17 बिस्वा भूमि अपीलांट के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात है। जिस पर अपीलांट का कदीम से यानि की अपने पिता के जीवनकाल के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये विधि विरूद्ध निर्णय पारित किये है। अपीलांट को बिना विधिवत नोटिस तामील कराये एवं सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये एक तरफा में अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है तथा विवादित आराजी बाबत् तहसीलदार ने बिना मौका रिपोर्ट मंगवाये ही विवादित आराजी का बंटवारा किया गया है तथा निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री द्वारा जो भूमि रेस्पोडेन्टस को दी गयी उस पर उनका कब्जा काश्त नहीं रहा हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही आदेश पारित किया है, जो त्रुटिपूर्ण है। प्राथमिक डिक्री में वादी/रेस्पोडेन्ट ने खसरा नम्बरान का उल्लेख करते हुए आराजी पर कब्जे काश्त के बाबत् जो रिलीफ चाही गयी है वह किसी भी सूरत में विधिक प्रावधानों के विपरीत है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.01.2019 को निरस्त किया जाकर वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का वाद को खारिज फरमाया जावें या ताफैसला अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की क्रियान्विति की पालना स्थगित किये जाने के आदेश प्रदान करावे। अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं अपील व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय/ डिक्री की प्रति का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा विवादित आराजी बाबत् कोई मौका रिपोर्ट नहीं मंगवायी गयी है तथा प्रतिवादीगण/अपीलांटस् की	

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

किशनगढ़ 213/19/223 गोविन्द पुत्र हरिनारी गायरी

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस्त हुक्म की तामील जारी हुए
	2019/00213 श्री आदेश पेन श्री	
लगातार	विधिवत नोटिस तामील नहीं करायी गयी है एवं बिना सुनवाई व साक्ष्य के निर्णय एवं डिक्री पारित की है। बिना मौका रिपोर्ट मंगवाये एवं पक्षकारान को सुने बिना कोई भी निर्णय व डिक्री व पारित की गई है वह पूर्ण रूप से अनुचित एवं गैर कानूनी प्रतीत होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.01.2019 निरस्त योग्य है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए आदेश 20 नियम 5 जा.दी. के प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः प्राथमिक डिक्री पारित करें। **अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.01.2019 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए आदेश 20 नियम 5 जा.दी. के प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः प्राथमिक डिक्री पारित करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।** 28/6/19 राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	